फर्द अहकाम

लय उपखण्ड अधिकारी आमेर

बनाम

भगवान सिंह बनाम हीरालाल वगैरा

मा संख्या /वर्ष 03/2021 : /20

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17.3.21	वकील प्रार्थी तथा सहायीगण को सवाल लगाई गई। सहायीगण की ओर से कोई उ० नहीं है। पूर्व में प्रार्थी व० हीरालाल अंकित रहा है लेकिन आज कोई उ० नहीं है अतः सहायीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही सम्मन में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने एक पक्षीय डिक्री में पूर्व में दिनांक 15.1.21 को जारी T.I. को मूल वाद के निस्तारण तक बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना का अवलोकन किया। मूल वाद दुरुस्त दायर है तथा सहायीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही सम्मन में लाई गई है। अतः प्रकरण में इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.1.21 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई करार किया जाता है। प्रार्थना पत्र इसी तरह मूल वाद के साथ लिया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर